



कार्यालय प्रमुख अभियंता पंजीयन लोक निर्माण विभाग
(केंद्रीयकृत ठेकेदार पंजीयन प्रकोष्ठ)

कार्यालय प्रमुख अभियंता निर्माण भवन प्लॉट नंबर 27 & 28 , अरेरा हिल्स, भोपाल

ठेकेदार पंजीयन प्रमाण-पत्र



आवेदक का विवरण	
कंपनी का नाम	RAUNAQ EPC INTERNATIONAL LIMITED
निदेशक	NA
स्थाई पता	20KM MATHURA ROAD PO AMAR NAGAR FARIDABAD, FARIDABAD, FARIDABAD, DIST-FARIDABAD, HARYANA, 121003

पंजीयन क्रमांक	संवर्ग	वैधता	
		पंजीयन दिनांक	समाप्ति दिनांक
PWD180028093	CIVIL	23/08/2018	22/08/2028

स.क्र.	निर्देशक के नाम	पैन नंबर
1	SURINDER PAL KANWAR	AAFPK8732L
2	SACHIT KANWAR	AIHPK0510E
3	SANJEEV KUMAR	AAJPK4762A
4	VIRENDRA KUMAR PARGAL	AAFPP3221M
5	PRADEEP KUMAR MITTAL	AGDPM8933F
6	GAUTAM MUKHERJEE	ADFPM5515Q
7	SEETHALAKSHMI VENKATARAMAN	AAAPV1495Q
8	NAGAR VENKATRAMAN SRINIVASAN	AAQPS2943A

कंपनी का टिन नंबर	कंपनी का पैन नंबर
23AAACR5747C2ZO	AAACR5747C

कृपया नियम और शर्तों हेतु इस प्रमाण पत्र के पीछे देखें।
ठेकेदार/ फर्म/ कंपनी आईडी क्रमांक-PWD180028093

मुख्य अभियंता (पंजीयन)



कार्यालय प्रमुख अभियंता पंजीयन लोक निर्माण विभाग
(केंद्रीयकृत ठेकेदार पंजीयन प्रकोष्ठ)

कार्यालय प्रमुख अभियंता निर्माण भवन प्लॉट नंबर 27 & 28 , अरेरा हिल्स, भोपाल

नियम एवं शर्तें

1. यह पंजीयन मध्यप्रदेश शासन के समस्त निर्माण विभागों, अर्द्ध-शासकीय संस्थानों, निगमों मंडलों एवं उपक्रमों के लिए मान्य होगा।
2. पंजीयन के नवीनीकरण, निलम्बन, निचली श्रेणी में अवनत, रद्द करना एवं काली सूची में नाम रखने की कार्रवाई मध्यप्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग के प्रचलित आदेशों के अनुसार की जाएगी।
3. फर्म के नाम से पंजीयन होने की दशा में फर्म के भागीदारों के परिवर्तन की जानकारी तत्काल पंजीयन अधिकारी को दी जाना एवं सिटीजान एडिट के माध्यम से ऑनलाइन अपडेट की जाना आवश्यक होगी ।
4. मध्यप्रदेश शासन द्वारा समय-समय पर पंजीयन हेतु जारी दिशा-निर्देश लागू होंगे।
5. पंजीयन के संबंध में किये जाने वाले पत्राचार में पंजीयन का आई.डी. अनिवार्य रूप से उल्लेखित करें।
6. सिविल एवं इलेक्ट्रिकल कार्य हेतु पंजीयन होने की दशा में विद्युत कार्य का कार्यक्षेत्र, सीमाएं एवं संपादन म.प्र. अनुज्ञापन मंडल विनिमय 1960 के अंतर्गत जारी विद्युत लाइसेंस (ए-श्रेणी/बी-श्रेणी) के अध्याधीन होगा।
7. पंजीयन हेतु प्रस्तुत दस्तावेज तथा जानकारियां त्रुटिपूर्ण, असत्य अथवा कटरचित पाए जाने पर पंजीयन निरस्त किया जा सकेगा एवं ठेकेदार के विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जावेगी।